## पारिभाषिक शब्दावली

| | |
|---|---|
| **राजस्व प्राप्तियां** | राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल हैं। |
| **पूंजीगत प्राप्तियां** | पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ लोक लेखा से उपार्जन शामिल हैं। |
| **राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज** | राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज में गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थाएं शामिल होते हैं जो राज्य में विशेष कार्यक्रमों, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि। |
| **उत्प्लावकता अनुपात** | उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के संबंध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट्स तक बढ़ जाएगी। |
| **कोर पब्लिक गुड्स** | कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचावऋ प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुएं एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि। |
| **मैरिट गुड्स** | मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्रत अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिए ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्रत अथवा सब्सिडाइजड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है। |

| | |
|---|---|
| **विकास व्यय** | व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है। |
| **ऋण पोषण सक्षमता** | ऋण पोषण सक्षमता, काफी समय तक लगातार ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात कायम रखने के लिए राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषण सक्षमता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिये अस्थिर परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि से मेल खानी चाहिए। |
| **गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता** | राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण क्षमता को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें। |
| **उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता** | कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है। |
| **प्राथमिक राजस्व व्यय** | प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है। |

## संकेताक्षरों की शब्दावली

| | |
|---|---|
| अ.भा.औ. | अखिल भारतीय औसत |
| अ.यो. | अनुमोदित योजना |
| आई.जी.एस.टी. | एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर |
| उ.प्र.प. | उपयोगिता प्रमाण-पत्र |
| उ.ह.बि.वि.नि.लि. | उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड |
| उदय | उज्ज्वल डिस्कोम आश्वासन योजना |
| एन.एस.डी.एल. | नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड |
| एस.जी.एस.टी | राज्य वस्तु एवं सेवा कर |
| चौ.वि.आ. | चौदहवां वित्त आयोग |
| जी.एस.टी. | वस्तु एवं सेवा कर |
| डिस्कॉमज | विद्युत् वितरण कंपनियां |
| ते.वि.आ. | तेरहवां वित्त आयोग |
| द.ह.बि.वि.नि.लि. | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड़ |
| प. व अ. | परिचालन एवं अनुरक्षण |
| प.अं.पें.यो. | परिभाषित अंशदान पेंशन योजना |
| प.प्रा.पा. | पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप |
| पं.रा.सं. | पंचायती राज संस्थान |
| पूं.प्रा. | पूंजीगत प्राप्तियां |
| पूं.व्य. | पूंजीगत व्यय |
| भा.रि.बैं. | भारतीय रिजर्व बैंक |
| भा.स. | भारत सरकार |
| म.अ.रा.नी.वि. | मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी |
| म.ले. | महालेखाकार |
| रा.आ.प्र.नि. | राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि |
| रा.उ.ब.प्र. | राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 |
| रि.वा.द. | रिटर्न की वार्षिक दर |
| ले. व हक. | लेखा व हकदारी |
| वि.व्य. | विकास व्यय |
| वे. व म. | वेतन एवं मजदूरी |
| वैट | मूल्य वर्धित कर |
| स.घ.उ. | सकल घरेलू उत्पाद |
| स.रा.घ.उ. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद |
| सं.औ.वृ.द. | संयोजित औसत वृद्धि दर |
| सा.क्षे.उ. | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम |
| सा.क्षे.व्य. | सामाजिक क्षेत्र व्यय |
| ह.वि.उ.नि.लि. | हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड |
| ह.वि.प्र.नि.लि. | हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड |